परियोजना का नामः— राज्य योजना में जनपद बागेश्वर में बैजनाथ—बागेश्वर मोटर मार्ग के कि.मी. 17 से मन्यूणा होते हुए नरग्वाड़ी तक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रतिवेदन

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत राज्य योजना में शासनादेश संख्या 1730/ 111(2)/ 14—03(प्रा0आ0)/2014 दिनांक 24.08.2014 द्वारा जनपद बागेश्वर में विधान सभा बागेश्वर के अन्तर्गत बैजनाथ—बागेश्वर मोटर मार्ग के कि.मी. 17 से मन्यूणा होते हुए नरग्वाड़ी तक मोटर मार्ग लम्बाई 3 कि.मी. एवं रू0 43.25 लाख की (प्रथम चरण—यथा सर्वेक्षण, वनभूमि की स्वीकृति आदि कार्यों हेतु) प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। भारत सरकार से वन भूमि स्वीकृति उपरान्त राज्य सरकार द्वारा मोटर मार्ग निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

जनपद बागेश्वर में विधान सभा बागेश्वर के विकास खंड गरूड़ में ग्राम मन्यूड़ा (जनसंख्या 1825) लगभग 3 कि.मी. क्षेत्र में फैला हुआ है एवं अभी तक यातायात की सुविधा से बंचित हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गागरीगोल से तिलसारी तक के लिए मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है परन्तु इस मार्ग से भी ग्राम मन्यूणा को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। स्थानीय जनता लम्बे समय से इस ग्राम को यातायात की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु मांग करते आ रही है। स्थानीय जनता की मांग पर मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत यह मार्ग 3 कि.मी. लम्बाई के लिए स्वीकृत किया गया है। विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त यह मार्ग बैजनाथ—बागेश्वर मोटर मार्ग के कि.मी. 17 से प्रस्तावित किया गया है एवं मन्यूणा एवं तोक पितलाकोट होते हुए नरग्वाड़ी तक इस मार्ग की कुल लम्बाई 2.625 कि.मी. आती है। नरग्वाड़ी में यह मार्ग गागरीगोल तिलसारी मोटर मार्ग में मिल जायेगा। इस मार्ग के संरेखण में अधिकतर नाप भूमि एवं बीच बीच में कुल 567 मीटर सिविल सोयम वन भूमि प्रभावित होती है। यातायात की सुविधा न होने से ग्रामीण जनता को शासन द्वारा प्रदत्त 108 चिकित्सा वाहन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही दूरस्थ क्षेत्र में स्थित होने के कारण इन गांवों में कोई भी अधिकारी/ कर्मचारी अपनी सेवायें नहीं देना चाहते जिससे क्षेत्र में मुख्य रूप से चिकित्सा एवं शिक्षा क्षेत्र में स्थिति बहुत खराब है। स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर न होने से युवाओं का शहरों की ओर पलायन बढ़ रहा है और गांव खाली हो रहे है। इस मोटर मार्ग का निर्माण हो जाने से ग्रामीण जनता को यातायात एवं परिवहन की सुविधा के साथ ही अधिकारी कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्र में अपनी सेवायें देंगे जिससे चिकित्सा एवं शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षित सुधार होगा। स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधन उपलब्ध होने पर बेरोजगारों का शहरों की ओर पलायन रूकेगा। इसके साथ ही गैस प्राप्त करने में सुविधा होगी जिससे जंगलों को बचाने में मदद मिलेगी। मोटर मार्ग निर्माण हेतु 9 मीटर चौड़ाई में भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावित किया गया है और प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों के अनुसार की गयी हैं जो न्यूनतम है। मोटर मार्ग निर्माण में आरक्षित वनभूमि और बांज वृक्ष प्रभावित नहीं होते हैं।

इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 संरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न गुगल मानचित्र में अलग—अलग रंग से दर्शाया गया है। साथ ही 1:50000 पैमाने के इन्डैक्स मानचित्र एवं डिजिटल मानचित्र में भी प्रस्तावित स्वीकृत संरेखण को दर्शा कर प्रस्ताव में लगाये गये हैं।

संरेखण नं0 1 जो लाल रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का निर्माण बैजनाथ—बागेश्वर राज्य मार्ग संख्या 11 के कि0मी0.17 से प्रस्तावित किया गया है। इसके अनुसार संरेखण में नाप भूमि एवं सिविल सोयम भूमि आती है। इस संरेखण से अधिक आवादी लाभान्वित होती है। बैन्ड कम आते हैं एवं वृक्ष कम प्रभावित होते हैं। मानकों के अनुसार सही ग्रेड मिलता है। इस संरेखण से सभी ग्रामवासी सहमत है।

संरेखण नं0 2 जो हरे रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का संरेखण आरम्भ में संरेखण नं0 1 के अनुसार ही रखा गया हैं। कि0मी0 1 के बाद कुछ भाग दलदल से होकर जाता है एवं नाप भूमि में अधिक फलदार वृक्ष प्रभावित होते है। इसके अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में मानको के अनुसार ग्रेड न मिलने एवं अधिक नाप भूमि प्रभावित होने से ग्रामवासी भी सहमत नहीं है।

इन दोनों संरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा संरेखण नं. 1 को मोटर मार्ग निर्माण हेतु तकनीकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। अतः 2.625 कि.मी. लम्बाई में प्रभावित होने वाली 0.5103 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन एवं लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण तथा .. वृक्षों के पातन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव प्रेषित् किया जा रहा है। भविष्य में इस मार्ग के निर्माण हेतु और वन भूमि की आवश्यकता नहीं होगी।

सहायक अभियन्ता
क्षेत्रीय खण्ड लो0 नि0 वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियन्ता
क्षेत्रीय खण्ड लो0 नि0 वि0
बागेश्वर